"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई, 2004—आषाढ़ 18, शक 1926

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती बिसनी बाई यादव पत्नि श्री रामकुमार यादव निवासी पचरीपारा, वार्ड नं. 24, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरा प्रचलित नाम सीताबाई यादव है जो कि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नाम बिसनी बाई पत्नि श्री रामकुमार यादव रख लिया है तथा तत्संबंध में सक्षम अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: आज से मुझे श्रीमती बिसनी बाई यादव पत्नि श्री रामकुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती सीताबाई यादव पत्नि श्री रामकुमार यादव पचरीपारा, वार्ड नं. 24, दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती बिसनी बाई यादव पत्नि श्री रामकुमार यादव पचरीपारा, वार्ड नं. 24, दुर्ग (छ. ग.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.